



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं.ए.60011/67/2011/एचआरपीसी(भाग)/11

दिनांक: 13 जनवरी, 2022

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी- / पश्चिमी / पूर्वी / दक्षिणी / उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  
दिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक,  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
आरसीडीयू/एफआईयू, नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,  
कोलकाता/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक  
भारतीय विमानन अकादमी  
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य  
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)  
बमरौली, प्रयागराज

महाप्रबंधक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
सीआरएसडी/वि.एवं यां कार्यशाला  
नई दिल्ली

निगमित मानव संसाधन परिपत्र सं. 3/2022

विषय: भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित सुधार।

भर्ती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थित सुधार के उपाय के रूप में, निम्नलिखित को मंजूरी दी गई है:

क. पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जिसमें भर्ती प्रकोष्ठ, मा.सं. के अलावा अन्य (02) दो अधिकारियों के साथ न्यूनतम (03) तीन अधिकारी हों।

ख. पात्रता मानदंड के निष्पक्ष और न्यायसंगत मूल्यांकन के लिए दस्तावेज सत्यापन और उसके रिकॉर्ड रखरखाव की प्रक्रिया के लिए शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारियों सहित स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाने चाहिए।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


आर. प्रभु  
(आर प्रभु)

कार्यकारी निदेशक (मा सं)

वितरण:

- ❖ अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी
- ❖ सदस्य (मानव संसाधन)/ सदस्य (प्रचालन)/ सदस्य (योजना)/ सदस्य(एएनएस)/ सदस्य (वित्त) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र (कार्यपालक सचिव)
- ❖ निगमित मुख्यालय/प्रचालन कार्यालय/ भाविप्रा कार्यालय परिसर के सभी विभागाध्यक्ष
- ❖ कार्यपालक निदेशक (मा सं-11)/ निगमित मुख्यालय के सभी महाप्रबंधक (मा सं)
- ❖ म.प्र (आईटी) – भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- ❖ महासचिव (एएईयू)/ महासचिव(आईएकेयू)/ महासचिव(एएआईईजी)/ महासचिव (एटीसीजी(I))/ महासचिव (आईएएआईओए)/ महासचिव (भाविप्रा अ.जा/अ.ज.जा ईडब्ल्यूए)/ महासचिव ( भाविप्रा अ.ज.जा/एसटी/ओबीसी (गैर-कार्यपालक) ईडब्ल्यूए

आर. ५६



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

F No. A.60011/67/2011/PP (Part)/11

13<sup>th</sup> January, 2022

The Regional Executive Director  
Airports Authority of India  
Northern/Western/Eastern/Southern/North-East  
Region Delhi/Mumbai/Kolkata/Chennai/Guwahati

The Executive Director,  
Airports Authority of India  
RCDU/FIU, New Delhi

The Airport Director  
Airports Authority of India  
Kolkata/Chennai Airport

The Director,  
Indian Aviation Academy,  
New Delhi

The Principal,  
Civil Aviation Training College (CATC),  
Bamrauli, Prayagraj

The General Manager,  
Airports Authority of India  
CRSD/E&M Workshop, New Delhi

## Corporate HRM Circular No. 3/ 2022

**Subject: Systematic Improvement to streamline the process of recruitment.**

As a measure for systematic improvement to streamline the process of recruitment and to bring transparency, the following has been approved :

- a. Screening committee for determining the eligibility criteria should be constituted comprising of minimum (03) three officials with (02) two officers from other than Recruitment Cell, HR.
  - b. Clear guidelines including the responsibilities of the involved officials should be brought out for the process of document verification and record maintenance thereof; for fair and equitable evaluation of eligibility criteria.
2. This issues with the approval of the competent authority.

  
(R. Prabhu)

Executive Director (HR)

### **Distribution: -**

- ❖ OSD to Chairman
- ❖ DGM (ES) to Member(HR)/ Member(Ops)/ Member(Plg)/ Member(ANS)/ Member (Fin)/ CVO
- ❖ All HoDs at CHQ / Operational Office / AAI Office Complex
- ❖ ED (HR-II) / All GM (HR) at CHQ
- ❖ GM (IT) for uploading on AAI Website
- ❖ GS, AAEU/ GS, IAKU/ GS, AAIEG/ GS, ATCG(I)/ GS, IAAIOA/ GS, AAI SC/ST EWA/ GS, AAI SC/ST/OBC (NE) EWA
- ❖ Hindi version will follow